



श्री कलराज मिश्र

माननीय राज्यपाल,
राजस्थान का उद्बोधन

विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का 21वां
अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

दिनांक 7 नवम्बर, 2020

समय दोपहर : 2.00 बजे

स्थान : राजभवन, जयपुर

‘ग्लोबल गवर्नेस : ए पोस्ट-कोविड इम्पेरेटिव’ विषय पर ऑनलाइन आयोजित किये जा रहे विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 21वें अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत की ओर से मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ।

वैश्विक महामारी ‘कोविड-19’ के इस चुनौतीपूर्ण समय में इस संवेदनशील और महत्वपूर्ण सामयिक विषय पर विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के इस सम्मेलन का आयोजन स्वागतयोग्य है।

आज के इस आयोजन में भाग ले रहे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एवं रिसेप्शन सम्मेलन समिति के अध्यक्ष, माननीय न्यायमूर्ति श्री ए.पी. मिश्रा जी।

—डॉ. हॉंग ताओ तज़े, अध्यक्ष, फौपाल, ताईवान,

—माननीय न्यायमूर्ति, श्री एंड्रयू के.सी. न्यिरेन्डा, मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट ऑफ अपील, मलावी,

—माननीय न्यायमूर्ति श्री शेख सलीम सेड अटूमेन,
अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट, कोमोरोस,

—माननीय न्यायमूर्ति श्री उस्मेन बटो को, अध्यक्ष,
सुप्रीम कोर्ट, बेनिन,

—माननीय न्यायमूर्ति श्री चैन रेच मदुत, मुख्य
न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट, दक्षिण सूडान,

—माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहम्मद अल्फी, मुख्य
न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट, लीबिया,

—माननीय न्यायमूर्ति श्री लराबा मौसा, अफ्रीका के
संवैधानिक न्यायालयों के सम्मेलन के स्थायी
महासचिव, सी.सी.जे.ए., अल्जीरिया,

—माननीय न्यायमूर्ति, डॉ. आडेल उमर शेरिफ, उप
मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च संवैधानिक न्यायालय, मिश्र
और,

—माननीय श्री क्गालेमा मोटलन्थे, दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति के साथ ही इस सम्मेलन में भाग ले रहे विश्व के 50 देशों के लगभग 200 सम्मानित प्रतिनिधियों का भारत के राजस्थान राज्य के राज्यपाल के रूप में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन करता हूँ।

हम सभी इस बात को जानते हैं कि वैश्विक कोरोना महामारी कोविड-19 ने विश्व मानवता को गहरा नुकसान पहुंचाया है। एक मोटे अनुमान के अनुसार दुनियाभर में इससे 10 लाख से अधिक मौतें हुई हैं और करोड़ों लोग संक्रमित हुए हैं।

महामारी के कारण विश्व के बहुत से देशों में स्थितियां बद से बदतर भी हुई हैं।

सामाजिक और आर्थिक स्तर पर राष्ट्रों के समक्ष कोविड-19 ने बेहद गंभीर चुनौतियां खड़ी की हैं।

लगभग सभी देशों की अर्थव्यवस्था, उद्योग, स्कूलों आदि पर भारी समस्याएं इसके कारण पैदा हुई हैं। महामारी से मानवीय स्तर पर तो भारी नुकसान हुआ ही, कई देशों में शांति प्रक्रियाओं पर भी बुरा असर पड़ा है।

संकट के इस समय में वैश्विक शासन व्यवस्था पर भी इस महामारी ने प्रश्न खड़े किए हैं।

मानव मूल्यों पर मंडराए खतरे की इस घड़ी में विश्वभर के राष्ट्रों में साझा समझ और हितों के लिए कार्य करने की जरूरत थी परन्तु इस संबंध में जिस तरह से कार्य होना चाहिए था, हुआ नहीं।

वैश्विक शासन व्यवस्था को बेहतर और प्रभावी बनाने की जिम्मेदारी प्रमुख रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ की होती है परन्तु सदस्यों देशों की भी इसमें अहम भूमिका होती है।

मुझे याद है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के 75वें सत्र में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर सवाल उठाए थे। उन्होंने तब यह भी कहा था कि बीते 75 सालों में संयुक्त राष्ट्र की अनेक उपलब्धियां रही हैं परन्तु कोविड जैसे ऐसे भी बहुत से अवसर आए हैं जब संयुक्त राष्ट्र के समक्ष गंभीर आत्ममंथन की आवश्यकता खड़ी हुई है।

इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं भी आज यहां यह विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र हमारे देश भारत को वैश्विक शासन व्यवस्था में निर्णायक भूमिका मिलनी चाहिए। यह बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि मानवीयता के भारतीय मूल्यों का लाभ पूरे विश्व समुदाय को इससे मिल सकेगा।

विश्व में आतंकवाद फैलाने के साथ मानवीय मूल्यों की ताक पर जिस तरह से कुछ देश अपनी मनमानी कर रहे हैं, उनके नियंत्रण में संयुक्त राष्ट्र संघ को अपनी भूमिका पर इस दौर में गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।

मुझे यह कहते हुए दुःख है कि वीटो पावर सिस्टम के कारण विश्व में महामारी, आतंकवाद, हिंसा एवं युद्धों को रोकने में संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत अधिक कारगर भूमिका नहीं निभा सका है। इसलिए दुनिया को आज एक ऐसी नई बाध्यकारी एवं प्रभावशाली वैश्विक शासन प्रणाली की आवश्यकता है, जो विश्व की सारी मानवजाति की भलाई के लिए समान रूप से काम करें।

भारतीय संस्कृति और जीवन दर्शन को इस संबंध में आदर्श मानते हुए कार्य करने की जरूरत है। इससे विश्व सुशासन को व्यवहार में सार्थक किया जा सकता है। हमें भारतीय संस्कृति के उन मूल्यों पर भी विचार करने की आज अधिक जरूरत है जिनमें मनुष्य के अधिकारों के साथ दायित्व भी जुड़े हैं। अधिकार और

कर्तव्यों का संतुलन ही मानवीय गरिमा को विश्वभर में स्थापित कर सकते हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसम्बर, 1948 को मानव अधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया गया था। इसमें परस्पर बंधुत्व की भावना से प्रेरित होकर कार्य करने के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को स्वाधीनता तथा सुरक्षा के अधिकार की महत्वपूर्ण बातें हैं।

पर मैं यह मानता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित मानव अधिकारों को आज वैश्विक कोविड संकट के दौर में मानवीय अधिकारों की सुरक्षा की दृष्टि से देखे और समझे जाने की अधिक जरूरत है।

हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बहुत पहले कहा था, **‘कर्तव्यों के हिमालय से अधिकारों की गंगा बहती है।’**

विश्व शासन को बेहतर करने और अधिक प्रभावी करने के लिए कोविड का यह समय उनके इस कथन को गहराई से समझने का है। सभी राष्ट्र इस बात को समझे और अपना कर्तव्य मानने की उनके द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाये जिससे दूसरे देशों के लोगों

को नुकसान हो। विपदा के समय सभी एकमत होकर जरूरतमंद राष्ट्रों की मदद को तत्पर रहें। स्वस्थ जीवन हमारा अधिकार है, पर अपने स्वास्थ्य के साथ दूसरों के स्वस्थ जीवन के लिए भी कार्य हो। यही अधिकार और कर्तव्य का संतुलन है।

भारतीय संस्कृति में मानव की पूर्ण प्रतिष्ठा का विचार बहुत पहले से मौजूद है। 'विश्व मानुष' की भारतीय सोच में आरम्भ से ही हमारे यहां 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का विचार मौजूद रहा है। भारत पूरे विश्व को आरम्भ से ही एक परिवार के रूप में मानता रहा है। यही भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र रहा है।

हमारे यहां की वैदिक ऋचा है –

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद दुख भागभवेत ।

अर्थात् सभी सुखी हों। सभी रोग मुक्त रहें। सभी मंगलमय जीवन के साक्षी रहे और किसी को भी दुःख उठाना न पड़े। मुझे इस अवसर पर एकात्म मानववाद के प्रर्वतक हमारे देश के महान विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का कहा हुआ भी विशेष रूप से

याद आ रहा है। उनका कहना था कि भारतीयता की अभिव्यक्ति राजनीति के द्वारा नहीं होकर संस्कृति के द्वारा होती है। सांस्कृतिक सहिष्णुता भारतीय जनमानस का गुण है। इसमें कर्तव्य प्रधान जीवन पर ही सबसे अधिक बल है।

इस दृष्टि से मैं इस वर्चुअल सम्मेलन में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भारतीय विचारधारा को आज के समय में विश्व भर के राष्ट्रों को अपनाने का आह्वान करता हूँ।

मुझे याद है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंतोनियो गुटेरेस ने कुछ समय पहले सुरक्षा परिषद की बैठक में वैश्विक शासन की बेहतरी के लिए सभी देशों में भरोसा कायम किए जाने पर जोर दिया था। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि वैश्विक महामारी कोविड-19 ने विभिन्न स्तरों पर जो वैश्विक चुनौतियाँ हमारे समक्ष खड़ी की है, उसमें भारतीय मानवीय मूल्यों को अपनाते हुए **‘वसुधैव कुटुम्बकम्’** की सोच के साथ कार्य करने की अधिक जरूरत है।

मेरा यह मानना है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र हमारे देश भारत का संविधान मानव अधिकारों का वैश्विक दस्तावेज है। मानव अधिकारों की सुरक्षा की विश्वसनीय व्यवस्था भारतीय संविधान में है। इसलिए विश्व भर में भारतीय संविधान आधारित विश्व शासन व्यवस्था की आज सभी स्तरों पर जरूरत में महसूस करता हूं।

कोविड ने सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक मानव अधिकारों को गहरा नुकसान पहुंचाया है। पूरा विश्व इस महामारी की चुनौतियों से जूझ रहा है।

ऐसे दौर में यह जरूरी है कि राजनीतिक अधिकारों के साथ मानवीय अधिकारों-कर्तव्यों की पालना विश्व के सभी राष्ट्र करें।

मैं इस वर्चुअल सम्मेलन में मौजूद मुख्य न्यायाधीशों की इस बात के लिए सराहना करता हूं कि उन्होंने मानवीय अधिकारों, कर्तव्यों की पालना में अपने स्तर पर न्यायालय निर्णयों के अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्य किया है।

मैं यहां भी बताना चाहता हूं कि भारतीय न्यायालय **'संवैधानिक करुणा'** के सिद्धांत पर चलते कार्यपालिका को सुशासन की स्थापना के लिए निरन्त प्रेरित करते रहे हैं।

वैश्विक शासन व्यवस्था को मानवीय करुणा, परस्पर विश्वास, सद्भाव और बंधुत्व आधारित भारतीय संस्कृति के विचारों के आलोक में यदि प्रभावी किया जाता है तो उसका दीर्घकालीन असर राष्ट्रों के परस्पर सद्भाव, सहयोग और कोविड जैसी भविष्य की और भी महामारियों से निपटने की चुनौतियों के साझा सहयोग के रूप में सामने आ सकते हैं। इसी की आज सबसे बड़ी जरूरत भी है।

इस वर्चुअल सम्मेलन में विश्व के अनेक देशों के मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश भाग ले रहे हैं। उनसे मेरा अनुरोध है कि वे इस सम्मेलन के माध्यम से सारी विश्व मानवता के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए किये जा रहे प्रयासों में भारतीय विश्व बंधुत्व संस्कृति की अवधारणा के अंतर्गत कार्य करने की विश्व स्तर पर सहमति बनाएं।

मेरा यह भी आप सभी से आग्रह है कि अपने-अपने राष्ट्र प्रमुखों को इस बात के लिए भी प्रेरित करें कि वे विश्व सरकार, विश्व संसद व विश्व न्यायालय की स्थापना हेतु अपने स्तर से प्रयास करें। इसी से 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भारतीय सोच से पूरे विश्व में इस समय की और भावी चुनौतियों से निपटने की प्रभावी वैश्विक शासन व्यवस्था को हम साझा रूप में अपना सकेंगे।

सभी राष्ट्र ऐसी आदर्श शिक्षा के बीज भी नई पीढ़ी में बोएं जिससे विश्व एकता व विश्व शान्ति पर आधारित एक नया सकारात्मक सोच का समाज गठित हो सके। निरोग विश्व, शांति, परस्पर सहयोग के साथ सभी राष्ट्रों में एक दूसरे पर भरोसे की भावना का इसी से विकास हो सकता है। यही समय की आवश्यकता भी है।

आपने इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में मुझे याद किया, इसके लिए मैं हृदय से आप सभी का आभारी हूँ।

मैं इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की सफलता की कामना करते हुए इस भव्य आयोजन के लिए डॉ. जगदीश गाँधी, डॉ. भारती गाँधी जी एवं प्रोफेसर गीता गांधी किंगडन के साथ ही आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। सभी को स्वस्तिकामना।

धन्यवाद। जयहिन्द।